राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

चतुर्थ मंजिल, ब्लॉक पांच, डॉ, एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.

फोन : 0141–2719073 **Email : rajpspcc@gmail.com**

क्रमांकःRCSE/JP/Free uniform/2026-27/ **दिनांक :–**

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिलें।

विषयः–निःशुल्क यूनिफॉर्म (सत्र 2026–27) सहायता राशि की डी.बी.टी के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की बजट घोषणा (सत्र 2026–27) **"कक्षा 1 से 8 के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी की जायेगी। इस हेतु लगभग 250 करोड रूपये का व्यय किया जायेगा।"** के क्रम में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता राशि प्रति विद्यार्थी रू 600/– की डीबीटी की जानी है।

सभी पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी किये जाने हेतु शालादर्पण पोर्टल पर जनाधार अधिप्रमाणित किया जाना अनिवार्य है तथा जनाधार से बैंक खाते का लिंक होना आवश्यक है। शालादर्पण पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार समस्त विद्यार्थियों के जनाधार अधिप्रमाणित नहीं है। जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों के अभिभावको का जनाधार नहीं बना होना या जनाधार का अद्यतन नही होना है तथा जनाधार अधिप्रमाणित विद्यार्थियों में बहुत से विद्यार्थियों के बैंक खाते या तो सक्रिय नहीं है या उनके आईएफएससी कोड सही नही है, उक्त स्थिति के कारण समस्त पात्र विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।

उक्त के संदर्भ में शत–प्रतिशत विद्यार्थियों के शालादर्पण पोर्टल पर जनाधार अधिप्रमाणित करवाये जाने हेतु समय–समय पर आपको निर्देशित किया गया था, किंतु आज दिनांक तक शालादर्पण पोर्टल पर जनाधार अधिप्रमाणित करवाने के कार्यों में कोई प्रगति नही हुई हैं। बार–बार निर्देशित किये जाने के बावजूद इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होना, इस कार्य के प्रति आपकी शिथिलता प्रदर्शित करती है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थियों के जनाधार बनवाने या जनाधार अद्यतन करवाये जाने हेतु अपने जिले के संबधित सक्षम प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जनाधार से वंचित विद्यार्थियों को जनाधार बनाने के लिए प्रेरित करते हुए अतिशीघ्रसमस्त विद्यार्थियों के शत–प्रतिशत जनाधार शालादर्पण पोर्टल पर अधिप्रमाणित करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे समस्त पात्र विद्यार्थियों को डी.बी.टी. का लाभ मिल सके।

वर्तमान मे राज्य सरकार की अन्य समस्त योजनाओं की डीबीटी भी जनाधार से लिंक बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। अतः समस्त विद्यार्थियों के जनाधार बनवाये जाने या अद्यतन किये जाने से राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओ से पात्र विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। यह राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंवे।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपीः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूशिप,जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
4. अति. राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूशिप, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त संभाग।
6. अति. जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिलें को लेख है कि जिले के सम्बन्धित प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शत प्रतिशत विद्यार्थियों के जनआधार अधिप्रमाणित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा./मा. शिक्षा को लेख है कि उक्त के लिए उचित मॉनिटिंग करते हुए शत प्रतिशत विद्यार्थियों के जनआधार अधिप्रमाणित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. कार्यालय प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2026.03.14 20:51:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21047526